



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्र./नि.ले.-1/ifmis/2025-26/D-

दिनांक: 14/08/2025

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

विषय : IFMIS के माध्यम से निर्माण संभागों का सम्पूर्ण लेखा प्रेषित किये जाने बाबत ।

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे) द्वारा आदेशित किया गया है कि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभागों के लेखों को IFMIS के माध्यम से ही प्रेषित करें। वर्तमान में IFMIS में प्रचलित त्रुटियों की वजह से मासिक लेखों के manual account की प्रति भी इस कार्यालय को प्रेषित की जाती है। IFMIS के लेखे का Data सीधे VLC System में दर्ज किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। जिस हेतु यह अति आवश्यक है की जल संसाधन विभाग के संभागों द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले IFMIS Generated मासिक लेखे त्रुटि रहित हों।

अतः आपसे अनुरोध है की आपके अधीनस्थ समस्त संभागों के कार्यपालन यंत्रियों को यह निर्देशित करे की IFMIS लेखे में परिलक्षित हो रही समस्याओं का कार्यालय कोष एवं लेखा के स्तर पर निराकरण करा कर आगामी माह से मासिक लेखे इस प्रकार तैयार करे जिससे कि वह लेखा त्रुटी रहित हो। साथ ही मासिक लेखे के साथ प्रेषित किये जाने वाले सभी vouchers/bills भी IFMIS पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

— हस्ता —

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /नि.ले.-1

दिनांक: 14/08/2025

क्र./नि.ले.-1/ifmis/2025-26/D- 234, 235

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

- 01.समस्त कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग,(मंत्रालय) वल्लभ भवन, भोपाल
- 02.समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखापाल,
जल संसाधन विभाग (म.प्र.)

Bhagyalaxmi
वरिष्ठ लेखा अधिकारी /नि.ले.-1